कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–3/97/2018/10–11/12/4010 भोपाल, दिनांक 2-12-21

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला सागर के अंतर्गत बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 530.85 हेक्टेयर (505.5 हे0 के स्थान पर) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-76/2018-FC दि. 23.05.2019

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :–

शर्त	शर्त का विवरण	शर्त का पालन
A:	**Conditions required to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval.**	
1	In order of minimize the extent of forest land diversion arising out of the fact due to shifting of transmission lines are merged into a single line or the same tower is used for mounting all lines, thereby reducing the total requirement of forest land. State Government will also ensure that the fail accompli diversion proposal for shifting of transmission lines should not be passing over the non-forest land (NFL) pledged for compensatory Afforestation :	इस शर्त से आवेदक सहमत है। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि की आवश्यकता कम करने के लिए वर्तमान में स्थापित 6 पॉवर लाईनों का विलय कर 4 पॉवर लाईनों में परिवर्तित कर दिया जावेगा। इस संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–1 में संलग्न है। इस तथ्य का भी ध्यान रखा जावेगा कि प्रस्तावित विद्युत लाईनें क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गैर वनभूमि से होकर न गुजरे।
2	Details of transmission line 'Shifting Plan' of the transmission line shall be as per the consensus of all the user agency and will be submitted prior to 'final approved:	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा ट्रांसमिशन लाईनों के स्थानांतरण के संबंध में पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का पत्र दिनांक 13.10.2021 तथा जबलपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (IndiGrid) का पत्र दिनांक 14.10.2021 प्रस्तुत किया है, जो क्रमशः परिशिष्ट–2 एवं 3 में संलग्न है।
3	Complete details of Non-Forest land acquired for the Bina Irrigation Project along with a comprehensive map indicating the total number of patches acquired will be submitted by the State Government. The patches against different projects shall be coded in different colors. A single KML file indicating the area used/proposed against different project in different colors shall also be submitted;	इस शर्त के पालन में बीना सयुंक्त सिंचाई परियोजना में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त 618.50 हे0 गैर वनभूमि की KML File को गुलाबी रंग से एवं बण्डा सिंचाई परियोजना मे क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त 572.00 हे0 गैर वनभूमि की KML File को पीले रंग से दर्शाते हुये एकजाई KML File को आनलाईन भाग–II के बिन्दु क्रमांक–19 (vii) में अपलोड की गई है।

4	In order to prevent encroachment in the fringe forest areas of the rim of the reservoir and to reduce siltation of reservoir, the user agency with State Forest Department work out a mechanism of protection which will include appropriate afforestation of species which can tolerate water inundation in the fringe areas of the reservoir;	इस शर्त से आवेदक संस्थान सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–4 में संलग्न है।
5	The user agency under guidance of Department of Forest, Madhya Pradesh shall take up adequate steps for the plantation of bamboos and development of Agro forestry in the village surrounding the reservoir. Funds under the schemes of MoAFW. Govt of India may be utilized for the purpose;	इस शर्त से आवेदक संस्थान सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–5 में संलग्न है।
6	User agency shall ensure water discharge in downstream of the project to maintain minimum 'environmental flow.	इस शर्त से आवेदक संस्थान सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–6 में संलग्न है।
7	The cost of compensatory afforestaton at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years:	इस संस्था की बीना संयुक्त सिंचाई परियोजना में 618.50 हे0 वनभूमि प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना (बण्डा) में 530.85 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हुई है। इस प्रकार इन दोनों प्ररियोजनाओं में कुल 1148.85 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हुई है। आवेदक संस्था द्वारा पूर्व में ही बीना परियोजना के विरूद्ध 1190 हेक्टेयर गैर वनभूमि में रोपण कार्य हेतु राशि जमा कर दी है। आवेदक संस्था से प्राप्त राशि में से 1049.84 हेक्टेयर गैर वनभूमि में रोपण कार्य भी किया जा चुका है। शेष क्षेत्र में रोपण कार्य आगामी वर्ष में किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण की पूर्ण राशि बीना परियोजना में पूर्व में ही प्राप्त की जा चुकी है। अतः पृथक से यह राशि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
8	The State Government shall charge the net present value (NPV) for the 530.85Ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon' ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003,24/04/2008 and 09/05/2008 in 1A No. 566 in WP(c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-C dated 05/02/2009 in this regard.	आवेदक संस्था द्वारा बीना परियोजना मे 1024 हेक्टेयर के लिये एन.पी.व्ही. की राशि जमा की थी। बीना परियोजना में प्रभावित वनभूमि का रकबा 1024 हेक्टेयर से कम होकर 618 हेक्टेयर रह गया है। अतः बीना परियोजना में 406 हेक्टेयर वनक्षेत्र भी नेट प्रजेंट वैल्यू अतिरिक्त रूप से जमा हो गई है। प्रस्ताव में प्रभावित 530.85 हेक्टेयर वनक्षेत्र की एन.पी.व्ही. की गणना के बाद बीना परियोजना में अधिक जमा राशि को कम करते हुए बण्डा परियोजना के लिए नेट प्रजेंट वैल्यू की शेष राशि रूपये 4,08,04,534/– एड हॉक कैम्पा में जमा की गई है।

9	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department:	मध्यप्रदेश राज्य शासन के आदेश दिनांक 22.04.2016 से शासकीय विभागों को विदोहन व्यय में छूट दी गयी है। यह कार्य विभागीय मद से बजट उपलब्ध करवाकर सम्पादित किया जावेगा।
10	The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department and notified as Reserved Forest Protected Forest prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section – 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the ease may be. Will be submitted by the State Government prior of Final/Stage –II approval,	बीना परियोजना में प्रभावित 618 हेक्टेयर तथा इस परियोजना में प्रभावित 530.85 हेक्टेयर के विरूद्ध आवेदक संस्था द्वारा 1190.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है, जिसका विवरण परिशिष्ट–7 में अंकित है। इस 1190.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से 933.30 हेक्टेयर गैर वनभूमि संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित हो चुकी है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–8 में संलग्न है। शेष 257.260 हेक्टेयर गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
11	The complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector:	FRA प्रमाण पत्र की छायाप्रति परिशिष्ट–9 में संलग्न है।
12	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/) Amount deposited through other modes will not be accepted as compliance of the stage-I clearance;	आवेदक संस्था द्वारा बीना परियोजना मे अधिक जमा राशि को कम करते हुए नेट प्रजेंट वैल्यू की शेष राशि रूपये 4,08,04,534/– एड हॉक कैम्पा में जमा करा दी गई है। परियोजना मे CAT Plan की राशि रूपये 12,46,95,335/–एड हॉक कैम्पा में जमा करा दी गई है।
13	All the State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-Green Watch portal of FSI. Before handing over forest land to the user agency;	e-Green watch पोर्टल पर जानकारी दी गयी है। जिसका आई.डी. क्रमांक 45528 है। त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	आवेदक विभाग द्वारा समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
B:	**Condition which needs to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:**	
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–10 में संलग्न है।
2	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon' ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–11 में संलग्न है।

–4–

3	The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only and felling of trees shall be carried out by the State Forest Department . Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project:	एफ.आर.एल—4 मीटर से नीचे के वृक्षों का विदोहन किया जावेगा। वचन पत्र परिशिष्ट—12 में संलग्न है।
4	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act. 1986. If applicable;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—13 में संलग्न है।
5	User agency shall undertake afforestation along with the periphery of the reservoir;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—14 में संलग्न है।
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—15 में संलग्न है।
7	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—16 में संलग्न है।
8	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—17 में संलग्न है।
9	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—18 में संलग्न है।
10	No. additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—19 में संलग्न है।
11	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—20 में संलग्न है।
12	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—21 में संलग्न है।
13	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—22 में संलग्न है।
14	The User Agency and the state Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules , regulations and guidance for the time being in force as applicable to the project:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट—23 में संलग्न है।

15	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidence F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–24 में संलग्न है।
16	Any other condition that the Ministry of Environment. Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation. protection and development of forest & wildlife:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–25 में संलग्न है।

अतः प्रकरण में अनुरोध है कि भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

07/12/2021

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 97 / 2018 / 10–11 / 12 / 4011 भोपाल, दिनांक 2-12-21

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।
5. परियोजना प्रबंधक, बीना (पी.एम.यू.) जल संसाधन विभाग सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

07/12/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट –1

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की शर्त बिन्दू क्र. (i) के अनुसार पावर ग्रिड की 5 लाइनों को वन क्षैत्र में 3 लाइनों मे एवं स्टरलाइन को 1 लाइन इस प्रकार कुल 6 हाई टेन्सन लाइनों को 4 लाइनों में परिवर्तित कर वन क्षैत्र को कम किया गया इस बाबत् पावर ग्रिड एवं स्टर लाइन द्वारा पत्र एवं प्लान प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

सिंचाई

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
26-11

परिशिष्ट-2

पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

765/400/220 kV substation, 8th KM Mile stone, Khimlasa Road, Bina Distt. Sagar, M.P. --470113

दूरभाष / Phone: 9425409559 ईमेल / Email: binass@powergrid.co.in

Ref: WRTS-II/Bina/TLM/Banda-WRD-Sagar/732 Date:13/10/2021

To,
Project Manager,
Office Of the Project Director
Water Resource Department, Bina project Management Unit
Distt:Sagar, Bina (M.P)
Email:pdbinapmu@gmail.com,cedkbwrdsgr@gmail.com

Subject: Shifting of various 400 kV and 765 kV transmission lines for upcoming Banda irrigation Project on Dhasan River near village Uldan (Bahrol) by water Resource Department-Compliance of point 2.A(i) of stage-I forest approval.

Dear Sir
We write this mail in reference to the subject matter and as per the query / points, following may please be noted:-

a. Individual voltage ratings transmissions lines are designed for nominal voltage rating, maximum system voltage, Impulse BIL, Power frequency withstand voltage (Wet), Switching surge withstand voltage (Wet), Minimum corona extinction voltage (dry) & Radio interference voltage (dry).
b. As per CEA guidelines issued (copy enclosed), wherever, any two 400kV lines are to be laid inside the forest corridor, as per the design availability, 400kV Multi circuit towers are to be made. Further, wherever, two 765kV S/c transmission lines are to be laid, as per the design, 765kV D/C transmission line are to made. **In 765kV voltage level, there is no multi circuit tower design allowed**. Diverted lines are configured as per the referred guidelines.
c. If existing transmission line configuration is laid through the diversion line corridor, the involvement of forest shall be 60% more than the now/current optimized forest corridor involvement.
d. Copy of Forest circular is appended herewith for ROW.

For further necessary action please.

Your's Faithfully
Sandeep 13/10/21
Sandeep Shrirange
Chief Manager
POWERGRID,Bina

Copy to:
1.Sr.GM (Bina)/Sr.GM(PESM/BDD)/Sr.GM(Engg.)/GM(Engg.)

परिशिष्ट - 3

Jabalpur Transmission Company Limited

IndiGrid

Ref No: JTCL/R&C/21-22/204

Date: 14.10.2021

To,
The Project Director,
Water Resource Department,
Project Management Unit,
Sagar (M.P)

Sub: Regarding Shifting of tower of 765 kV S/C Jabalpur-Bina line coming under Submergence of Banda Irrigation Project.

Ref: Your email dated-01/08/2021.

Dear Sir,

Jabalpur Transmission Company Limited **(JTCL)** has been granted transmission license by the CERC to build, own, operate and maintain transmission lines for system strengthening for Western Region. JTCL has constructed and commissioned transmission lines under the JTCL Project along with the 765 kV S/C Jabalpur-Bina transmission line, which is in operation since June 2015.

The Ministry of Power, Government of India has accorded approval to implement the transmission lines under Section 68 of the Electricity Act, 2003 vide its letter Ref. no.11/2/2010-PG dated-25/11/2010.Further, the Ministry of Power has conferred all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 on JTCL which the telegraph authority possesses vide gazette notification extra ordinary PART – II Section 3- Sub-Section (ii) dated 05.06.2013.

This is with reference to the subject matter & your email vide under reference above this is to inform you that it is Technically not feasible to merge JTCL, 765 kV S/C Jabalpur-Bina line with PGCIL lines.

Accordingly requesting your good self to communicate the same to the concern authorities of MoEF & do the needful for taking the Stage-2 Forest approval.

Thanking You.

Your Sincerely,

For Jabalpur Transmission Co. Ltd.

I R Venkatraman
(VP-Regulatory and Contracts)
(email-venkatraman.inumula@indigrid.com)

परि०क्र०-५

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा बण्डा परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित 530.85 हे0 वन भूमि के स्टेज प्रथम की शर्त (iv) के परिपालन मे वन विभाग के सहयोग से पूर्ण पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ठ-5

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा बण्डा परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित 530.85 हे0 वन भूमि के स्टेज प्रथम की शर्त (v) के परिपालन मे वन विभाग के सहयोग से पूर्ण पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका A(vi) के परियोजना में पक्के बांध मे दो नग पर्यावरण स्लूस दिये जा रहे है। जिससे उपरोक्त कंडिका का पूर्ण पालन किया जावेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ट - 7

जिला सागर अंतर्गत बीना संयुक्त सिंचाई परियोजना एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की जानकारी

क्र0	वनमण्डल का नाम	ग्राम का नाम	रकबा हेक्टेयर मे	अधिसूचित रकबा	रोपित रकबा
1	दक्षिण सागर	संदई	36.610	—	36.610
2		मेनाई	25.00	—	25.00
3		मड़खेरा जागीर	91.600	—	—
4		मुडेरी	104.05	—	104.05
5	उत्तर सागर	चनारी	11.29	11.29	11.29
6		मालथौन	25.30	25.30	25.30
7		बगपुरा	50.00	50.00	50.00
8		किशनगढ	28.71	28.71	28.71
9		मढैया गौढ	50.51	50.51	50.51
10		पिपरिया खगार	50.00	50.00	50.00
11		गढौला गुसाई	24.40	24.40	24.40
12		सगोरिया	110.74	110.74	110.74
13		महूना कायस्त	60.00	60.00	60.00
14		जवारा	47.93	47.93	47.93
15		कठैली	38.00	38.00	38.00
16		कंजिया रैयतवारी	202.12	202.12	174.00
17		पिथौली	50.00	50.00	29.00
18		मोकलमउ	66.40	66.40	66.40
19		कोटरा	40.00	40.00	40.00
20		मकलपुर	53.50	53.50	53.50
21		जवारा	24.40	24.40	24.40
		कुल योग :–	1190.56 हे0	933.30	1049.84

01/12/2014
(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx

परिशिष्ट-8

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019—वैशाख 27, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. ई-1-202-2019-5-एक.—श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे (1987), वि. क. अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपोरक्तानुसार श्रीमती गौरी सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि. क. अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा उपाध्यक्ष, नमर्दा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-769-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 6 से 14 मई 2019 तक नौं दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2019

फा.क्र. 2639-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजीव कुमार अयाची, 12वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2019

पंजी. क्र. 2552-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, जिला मुख्यालय रतलाम में नियुक्त नोटरी, श्री पुनमचंद पालीवाल का दिनांक 19 दिसम्बर 2018 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 11 फरवरी 1992 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 11 फरवरी 2016 को अपास्त करते हुए, श्री पुनमचंद पालीवाल का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2019

क्र. एफ-1-1-2019-1-उनसठ.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2018 द्वारा डॉ. एस. एस. कुमरे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ-साथ प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा-40 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए, श्रीमती माधवी नागेन्द्र, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार तत्काल प्रभार से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा दुबे, अपर मुख्य सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-22-14-2000-ई-चार.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2018 में संशोधन करते हुए, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 (क्रमांक 63 सन 1951) (संशोधित अधिनियम 2000) की धारा-10 (बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पंकज अग्रवाल, तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उद्यम विभाग-सह-आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल के अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने के कारण श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उद्यम विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-8-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा

समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N-24°04'37.95" से N-24°05'15.65" उत्तर अक्षांश तथा E-78°40'17.54" से E-78°41'36.60" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—बण्डा, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—बांदरी

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सगौरिया	सगौरिया	पहाड़ चट्टान	562	110.74	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 549, 550, 551, 540, 557, 558, 533, 532, 559, 561, 517, 519, 512, 510. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 562, 566 की सीमा प्राकृतिक नाला. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड पिड़रूआ कक्ष क्रमांक पी 191 की वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 562 की सीमा, ग्रामीण सड़क.
				योग . .	110.74	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 110.74 हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2019

क्र. एफ-25-8-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-8-2019-दस-3, दिनांक 6 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 6th April 2019

No. F-25-8-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24°04'37.95" to N 24°05'15.65" North Latitude and E 78°40'17.54" to E 78°41'36.60" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil—Banda, Forest Division—North Sagar (T), Forest Range—Bandri

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sagoriya	Sagoriya	Pahad Chattan	562	110.74	North—Boundary of Revenue Kh. No. 549, 550, 551, 540, 557, 558, 533, 532, 559, 561 517, 519, 512, 510. East—Boundary of Revenue Kh. No. 562, 566, Natural Nala. South—Boundary of Protected Forest Block Pidaruwa Comtt. No. 191. West—Boundary of Revenue Kh. No. 562, Village Road.
				Total . .	110.74	

Reason for Publication of Notification.—(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13 -2015-FC, dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 hectare Non Forest Land of was made available and out of the above land 110.74 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014, date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

(2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 dated 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) **Rights of Individuals**—There are not rights of individual.

(B) **Rights of Communities**—There are not rights of communities.

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2019—वैशाख 13, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2019

क्र. ई.-1-143-2019-5-एक.—श्री नीरज दुबे, भाप्रसे (2000), आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2019

क्र. ई.-1-129-2019-5-एक.—सुश्री तन्वी हुड्डा, भाप्रसे (2014), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-12-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड N-24°22'44.52" से N-24°23'35.06" उत्तर अक्षांश तथा E-78°10'18.97" से E-78°10'43.18" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—बीना, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—खुरई

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कंजिया रैयतवारी	कंजिया रैयतवारी	छोटा घांस	531/973	202.12	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 531/973 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 11 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 531/973 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 11 से 13 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 531/973 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 13 से 19 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 1/1 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 19 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	202.12	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13/2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 202.12 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-12-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-12-2019-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2019

No. F-25-12-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between to N-24°22'44.5" to N-24°23'35.06" North Latitude and E-78°10'18.97" to E-78°10'43.18" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil—Bina, Forest Division—North Sagar (T), Forest Range—Khurai

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kanjya Raiyatwari	Kanjya Raiyatwari	Chota Ghas	531/973	202.12	North—Boundary of Revenue Kh. No. 531/973, New Pillar No.1 to 11 Artificial Forest Boundary. East—Boundary of Revenue Kh. No. 531/973, New Pillar No. 11 to 13 Artificial Forest Boundary. South—Boundary of Revenue Kh. No. 531/973, New Pillar No. 13 to 19 Artificial Forest Boundary. West—Boundary of Revenue Kh. No. 1/1, New Pillar No. 19 to 1 Artificial Forest Boundary.
				Total	202.12	

Reason for Publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC, dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land of 1190.56 hectare was made available and out of the above non Forest land 202.12 hactare was transfered or muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014, dated 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

(2) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 dated 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) **Rights of Individuals**—There are not rights of individual.

(B) **Rights of Communities**—There are not rights of communities.

THEREFORE, **the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-19-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N-24⁰03'27.18" से N-24⁰04'11.33" उत्तर अक्षांश तथा E-78⁰51'41.56" से E-78⁰52'7.40" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—बण्डा वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—बण्डा

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण: ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पिथौली	पिथौली	बड़ा झाड़	1/2	50.00	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 1 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 2 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 35/1, 34, 3, 33, 30 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 2 से 9 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 502 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 9 से 10 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 1/2 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 10 से 11 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	50.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13/2015-एफ.सी, दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-19-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-19-2019-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2019

No. F-25-19-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government herby to declares the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between to N-24°03'27.18" to N-24°04'11.33" North latitude and E-78°51'41.56" to E-78°52'7.40" East longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil—Binda, Forest Division—North Sagar (T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Detail of land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pitholee	Pitholee	Bada Jhar	1/2	50.00	North—Boundary of Revenue Kh. No. 1, New Pillar No.1 to 2 Artificial Forest Boundary. East—Boundary of Revenue Kh. No. 35/1, 34, 3, 33, 30, New Pillar No. 2 to 9 Artificial Forest Boundary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						South—Boundary of Revenue Kh. No. 502, New Pillar No. 9 to 10 Artificial Forest Boundary.
						West—Boundary of Revenue Kh. No. 1/2, New Pillar No. 10 to 11 Artificial Forest Boundary.
				Total . . 50.00		

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accorcance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order No. F-No. 8-13/2015-FC, dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 hectare was made available and out of the above not Forest land 50.00 hectare was transferred and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014, dated 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

(2) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 dated 12th February 2014 Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals—There are not rights of individual.

(B) Rights of Communities—There are not rights of communities.

THEREFORE, the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2019—वैशाख 20, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-892-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सिंह, आयएएस., आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर को ताईपे ताईवान में आयोजित होने वाले स्मार्ट सिटी समिट एवं एक्सपो-2019 जो कि दिनांक 25 से 27 मार्च 2019 तक आयोजित है, में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 28 से 31 मार्च 2019 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-14-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक के वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23°59' 33.10'' से N 23°59' 53.73'' उत्तर अक्षांश तथा E 79°3' 58.02'' से E 79°4' 29.93'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर
वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.)

तहसील : बण्डा
वन परिक्षेत्र : बण्डा

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण: ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मलकपुर	मलकपुर	बड़ा झाड़	4/2	53.50	उत्तर —राजस्व खसरा नंबर 4 की सीमा, ग्रामीण सड़क. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 4 की सीमा, ग्रामीण सड़क. दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 64, 65, 63, 108, 109 की सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 4 की सीमा.
				योग . .	53.50	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 53.50 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-14-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-14-2019-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2019

No. F-25-14-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23°59, 33.10'' to N-23° 59' 53.73'' North Latitude and E-79° 3' 58.02'' to E-79° 4' 29.93'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar(T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Malakpur	Malakpur	Bada Jhar	4/2	53.50	North—Boundary of Revenue Kh. No. 4, village Road. East—Boundary of Revenue Kh. No. 4, Village Road. South—Boundary of Revenue Kh. No. 64, 65, 63, 108, 109. West—Boundary of Revenue Kh. N0. 4.
				Total :	53.50	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27 July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 53.50 hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-13-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए पर करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन

द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जावे, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे. यह वनखण्ड से N 23°57' 57.68'' से N 23°58' 00.35'' उत्तर अक्षांश तथा E 78°18' 21.05'' से E 78°18' 58.42'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर तहसील : खुरई

वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.) वन परिक्षेत्र : खुरई

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	महुना कायस्थ	महुना कायस्थ	चरनोई	1/1 171/2	50.00 10.00	उत्तर —राजस्व खसरा नंबर 2, 4/1, 4/2, 5, 6 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 4 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 6, 1, 171 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 14 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 175 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 14 से 15 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 171, 1 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 15 से 19 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	60.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 60.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-13-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-13-2019-दस-3, दिनांक 29 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 29th April 2019

No. F-25-13-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 57' 57.68" to N 23° 58' 00.35" North Latitude and E 78° 18' 21.05" to E 78° 18' 58.42" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Khurai, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Khurai.

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahuna Kayasth	Mahuna Kayasth	Charnoi	1/1 171/2	50.00 10.00	North—Boundary of Revenue Kh. No. 2, 4/1, 4/2, 5, 6, New Pillar No. 1 to 4 Articifical Forest Boundary. East—Boundary of Revenue Kh. No. 6, 1, 171, New Pillar No. 4 to 14 Articifical Forest Boundary. South—Boundary of Revenue Kh. No. 175, New Pillar No. 14 to 15 Articfical Forest Boundary. West—Boundary of Revenue Kh. NO. 171, 1, New Pillar No. 15 to 19 Articfical Forest Boundary.
				Total :	60.00	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27 July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 60.00hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Datel2th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-16-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°22' 0.77'' से N 24° 22' 24.46' उत्तर अक्षांश तथा E 78°30' 47.63'' से E 78°30' 58.98'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर

वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.)

तहसील : मालथौन

वन परिक्षेत्र : मालथौन

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चनारी	चनारी	पहाड़ चट्टान	161	11.29	उत्तर —राजस्व खसरा नंबर 160 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 162/1 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 2 से 4 तक. दक्षिण—राजस्व खसरा क्रमांक 159 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक. पश्चिम—आरक्षित वनखण्ड मालतौन के कक्ष क्रमांक 102 की वन सीमा.
				योग . .	11.29	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.29 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-16-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-16-2019-दस-3, दिनांक 29 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 29th April 2019

No. F-25-16-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abriged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-24° 22' 0.77'' to N-24° 22' 24.46'' North Latitude and E-78° 30' 47.63'' to E-78° 30' 58.98'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Malthone, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Malthone.

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Chanari	Chanari	Pahad Chattan	161	11.29	North—Boundary of Revenue Kh. No. 160, New Pillar No. 1 to 2. East—Boundary of Revenue Kh. No. 162/1, New Pillar No. 2 to 4. South—Boundary of Revenue Kh. No. 159, New Pillar No. 4 to 5. West—Boundary of Reserved forest Block Malthone Comtt. 102.
				Total :	11.29	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 11.29 Hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th-02-2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-20-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा

समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°18' 23.42'' से N 24° 18' 39.93'' उत्तर अक्षांश तथा E 78°32' 7.47'' से E 78°32' 23.09'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर

वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.)

तहसील : मालथौन

वन परिक्षेत्र : मालथौन

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मालथौन	मालथौन	पहाड़ चट्टान	597/1/2 686/1/2	13.76 11.54	उत्तर —राजस्व खसरा नंबर 369, 536, 585, 586, 588 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 10 से 1 तक. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 592, 692, 689, 688 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक. दक्षिण—राजस्व खसरा क्रमांक 686/2, 596, 681, 636 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 598, 368 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 9 से 10 तक.
				योग . .	25.30	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.30 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-20-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-20-2019-दस-3, दिनांक 29 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 29th April 2019

No. F-25-20-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 18' 23.42" to N 24° 18' 39.93" North Latitude and E 78° 32' 7.47" to E 78° 32' 23.09" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Malthone, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Malthone

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Malthone	Malthone	Pahad Chattan	597/1/2 686/1/2	13.76 11.54	North—Boundary of Revenue Kh. No. 369, 536, 585, 586, 588 New Pillar No. 10 to 1. East—Boundary of Revenue Kh. No. 592, 692, 689, 688 New Pillar No. 1 to 4. South—Boundary of Revenue Kh. No. 686/2, 596, 681, 636 New Pillar No. 4 to 9. West—Boundary of Revenue Kh. No. 598, 368 New Pillar No. 9 to 10.
				Total :	25.30	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 25.30 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-11-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक के वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रुप भेदित किये जायें के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23°59' 33.10'' से N 23° 59' 53.73'' उत्तर अक्षांश तथा E 78°52' 45.62'' से E 79°04' 29.93'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर तहसील : बण्डा

वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.) वन परिक्षेत्र : बण्डा

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मोकलमऊ	मोकलमऊ	बड़ा झाड़	22 23	24.62 41.78	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 2, 26, 24, 30 की सीमा, ग्रामीण सड़क. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 165, 168 की सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा क्रमांक 178, 180, 182, 186, 187/1, 21 की सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 11, 9, 8, 5, 4/2 की सीमा.
				योग . .	66.40	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 66.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-11-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-11-2019-दस-3, दिनांक 30 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30th April 2019

No. F-25-11-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 59' 33.10'' to N 23° 59' 53.73'' North Latitude and E 78° 52' 45.62'' to E 79° 04' 29.93'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mokalmau	Mokalmau	Bada Jhar	22 23	24.62 41.78	North—Boundary of Revenue Kh. No. 2, 26, 24, 30, Village Road. East—Boundary of Revenue Kh. No. 165, 168. South—Boundary of Revenue Kh. No. 178, 180, 182, 186, 187/1, 21. West—Boundary of Revenue Kh. No. 11, 9, 8, 5, 4/2.
				Total :	66.40	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27 July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land of 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land 66.40 hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-17-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक के वे राज्य शासन द्वारा

समय-समय पर रूप भेदित किये जावे, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°04' 46.08'' से N 24° 05' 09.60'' उत्तर अक्षांश तथा E 78°48' 37.48'' से E 78°49' 15.18'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर

वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.)

तहसील : बण्डा

वन परिक्षेत्र : बण्डा

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण — ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कोटरा	कोटरा	बड़ा झाड़	663/2	40.00	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 663 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 3 से 6 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 684, 633, 627 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 6 से 8 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा नम्बर 663 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 8 से 1 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 49, 47, 46, 31, 14 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 3 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	40.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 40.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2). उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार—उक्त भूमि पर निरंक व्यक्तिगत अधिकार है.

(ब) सामुदायिक अधिकार—उक्त भूमि पर निरंक सामुदायिक अधिकार है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-17-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-17-2019-दस-3, दिनांक 30 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30th April 2019

No. F-25-17-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-24° 04' 46.08'' to N-24° 05' 09.60'' North Latitude and E-78° 48' 37.45'' to E-78° 49' 15.18'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kotra	Kotra	Bada Jhar.	663/2	40.00	**North**—Boundary of Revenue Kh. No. 663, New Pillar No. 3 to 6 Revenue Area. **East**—Boundary of Revenue Kh. No. 684, 633, 627, New Pillar No. 6 to 8 Revenue Area. **South**—Boundary of Revenue Kh. No. 663, New Pillar No. 8 to 1 Revenue Area. **West**—Boundary of Revenue Kh. No. 49, 47, 46, 31, 14, New Pillar No. 1 to 3 Revenue Area.
				Total :	40.00	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27 July 2016 and lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 40.00 hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compendatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2019—ज्येष्ठ 3, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. ई-1-187-2019-5-एक.—श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-1-224-2019-5-एक.—श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे (1984), अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 09 मई 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2403.—(मेरिट क्र. 04), राज्य शासन, श्री ललित कुमार झा पुत्र श्री नारायण झा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मधुबनी (बिहार) है. उसकी जन्मतिथि 04 दिसम्बर 1981 है.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

फा. क्र. 2691-इक्कीस-ब(दो)-2019.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 5690-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 28 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त श्री वीर कुमार जैन, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर द्वारा दिया गया त्यागपत्र दिनांक 12 अप्रैल 2019 से स्वीकृत कर उन्हें कार्यमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-10-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23°58'53.3" से N 23°59'23.8" उत्तर अक्षांश तथा E 78°43'48.3" से E 78°44'6.8" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—सागर, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—उत्तर सागर

अनु-क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मढ़ैया गौड़	मढ़ैया गौड़	चरनोई	367/6	18.80	उत्तर—आरक्षित वनखण्ड चितौली कक्ष क्रमांक आर.एफ. 377 की वन सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 9 तक.
				445/2	11.01	पूर्व—आरक्षित वनखण्ड चितौली कक्ष क्रमांक आर.एफ. 377, 376, 374 की वन सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 9 से 20 तक.
				486/2	11.70	दक्षिण—आरक्षित वनखण्ड चितौली के कक्ष क्रमांक 374 की वन सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 20 से 23.
				487	9.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 443, 446, 463, 464, 365, 364, 367/2 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 23 से 1.
				योग . .	50.51	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.51 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार.**—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार.**—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-10-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-10-2019-10-3, दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 10th May 2019

No. F-25-10-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 58' 53.3'' to N 23° 59' 23.8'' North Latitude and E 78° 43' 48.3'' to E 78° 44' 6.8'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Sagar, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—North Sagar

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Madhya Gound	Madhya Gound	Charnoi	367/6 445/2 486/2 487	18.80 11.01 11.70 9.00	North—Boundary of Reserved Forest Block Chitoli Comtt. No. RF 377 New Pillar No. 1 to 9.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						East—Boundary of Reserve Forest Block Chitoli Comtt. No. RF 377, 376, 374 New Pillar No. 9 to 20.
						South—Boundary of Reserve Forest Block Chitoli Comtt. No. RF 377 New Pillar No. 20 to 23 Revenue Area.
						West—Boundary of Revenue Kh. No. 443, 446, 463, 464, 365, 364, 367/2, New Pillar No. 23 to 1 Articificial Forest Boundary.
				Total :	50.51	

Reason for publication of Notification .—(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 50.51 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

(2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-9-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°07'00.37 से N 24°07'17.64" उत्तर अक्षांश तथा E 78°35'9.18" से E 78° 35' 15.66" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—मालथौन, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—बांदरी

अनु-क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गढ़ौला गुसाई.	गढ़ौला गुसाई.	पहाड़ चट्टान	530/2	24.40	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 121, 119 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 2 कृत्रिम वन सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 530 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 2 से 5 कृत्रिम वन सीमा.
						दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 530, 529 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 5 से 8 कृत्रिम वन सीमा.
						पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 527, 528, 526, 525, 134 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 8 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	24.40	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 24.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-9-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-9-2019-दस-3, दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 10th May 2019

No. F-25-9-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government

from time to time. This Forest Block lies between N 24° 07' 00.37'' to N 24° 07' 17.64'' North Latitude and E 78° 35' 9.18'' to E 78° 35' 15.66'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Malthone, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Bandri.

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gadola Gusai.	Gadola Gusai.	Pahad Chattan.	530/2	24.40	North—Boundary of Revenue Kh. No. 121, 119, New Pillar No. 1 to 2 Artificial Forest Boundary. East—Boundary of Revenue Kh. No. 530, New pillar No. 2 to 5 Artificial Forest Boundary. South—Boundary of Revenue Kh. No. 530, 529, New Pillar No. 5 to 8 Artificial Forest Boundary. West—Boundary of Revenue Kh. No. 527, 528, 526, 525, 134, New Pillaer No. 8 to 1 Artificial Forest Boundary.
				Total :	24.40	

Reason for Publication of Notification .—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 24.40 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Dated 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Dated 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-4-2019-10-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N-23°58'31.90" से N-23°58'32.00" उत्तर अक्षांश तथा E 78°18'24.30" से E 78° 18' 31.50" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—खुरई, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—खुरई

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कठेली	कठेली	पहाड़ चट्टान	122/2	38.00	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 121, 119, 118 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 8 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 122, 128, 127/1, 123, 124 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 8 से 16 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 122 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 16 से 17 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 122 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 17 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	38.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 38.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ-25-6-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-6-2019-दस-3, दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th May 2019

No. F-25-6-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 18' 9.30'' to N 24° 18' 33.22'' North Latitude and E 78° 26' 16.69'' to E 78° 26' 40.01'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Malthone, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Malthone

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kishangarh	Kishangarh	Pahad Chattan	39/1	1.29	North—Boundary of Revenue Kh. No. 36, 31, 30, 26.
				30/1	0.14	
				38	0.57	
				39/2	26.71	East—Boundary of Revenue Kh. No.41, 40, Village Road.
						South—Boundary of Revenue Kh. No. 258, 259, 260, Village Road.
						West—Boundary of Revenue Kh. No. 10, 37, 36, Natural Nala.
				Total :	28.71	

Reason for publication of Notification .—(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 38.71 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) **Rights of Individuals:**—There are not rights of individulas.

(B) **Rights of Communities:**—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ-25-18-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24⁰04'15.42" से N 24⁰04'31.49" उत्तर अक्षांश तथा E 78⁰53'7.33" से E 78⁰53'56.08" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—बण्डा, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—बण्डा

अनु. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जवारा	जवारा	बड़ा झाड़	35	47.93	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 37, 36 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 10 से 11 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 219 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 11 से 12 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 32 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 12 से 13 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 26, 27, 29, 14, 19 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 13 से 10 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	47.93	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 47.93 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ-25-18-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2019-10-3, दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th May 2019

No. F-25-18-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24º04' 15.42" to N 24º04' 31.49" North Latitude and E 78º 53' 7.33" to E 78º 53' 56.08" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included: Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	Forest Block Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jawara	Jawara	Bada Jhar	35	47.93	North—Boundary of Revenue Kh. No. 37, 36, New Pillar No. 10 to 11 Artificial Forest Boundary. East—Boundary of Revenue Kh. No. 219, New Pillar No. 11 to 12 Artificial Forest Boundary. South—Boundary of Revenue Kh. No. 32 New Pillar No. 12 to 13 Artificial Forest Boundary. West— Boundary of Revenue Kh. No. 26, 27, 29, 14, 19 New Pillar No. 13 to 10 Artificial Forest Boundary.
				Total :	47.93	

Reason for publication of Notification .—(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 47.93 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) **Rights of Individuals:**—There are not rights of individulas.

(B) **Rights of Communities:**—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ–25–18–2019–दस–3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°04'37.85" से N 24°04'54.41" उत्तर अक्षांश तथा E 78°53'18.43" से E 78°53'55.92" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—बण्डा, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—बण्डा

अनु. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जवारा	जवारा	बड़ा झाड़	40	24.40	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 56, 68 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 2 से 5 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 101, 104, 114 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 5 से 6 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 39, 37, 41 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 6 से 1 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 42, 43, 54, 56 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 2 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . . .	24.40	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 24.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ-25-18-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2019-दस-3, दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th May 2019

No. F-25-18-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 04' 37.85'' to N 24° 04' 54.41'' North Latitude and E 78° 53' 18.43'' to E 78° 53' 55.92" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jawara	Jawara	Bada Jhar	40	24.40	North—Boundary of Revenue Kh. No. 56, 68 New Pillar No. 2 to 5. East—Boundary of Revenue Kh. No. 101, 104, 114, New Pillar No. 5 to 6. South—Boundary of Revenue Kh. No. 39, 37, 41, New Pillar No. 6 to 1. West— Boundary of Revenue Kh. No. 42, 43, 54, 56, New Pillar No. 1 to 2.
				Total :	24.40	

Reason for publication of Notification .—(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 24.40 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

(2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) **Rights of Individuals:**—There are not rights of individulas.

(B) **Rights of Communities:**—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ-25-99-2018-दस-3.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड N 24°04'26.00" से N 24°04'59.00" उत्तर अक्षांश तथा E 78°52'58.3" से E 78° 53' 56.1" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—उत्तर सागर (सा.), वनमण्डल—सागर, वनपरिक्षेत्र—वण्डा

अनु-क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जवारा	जवारा	बड़े झाड़ का जंगल.	37/2, 35/2	78.05	उत्तर—मार्ग तहरोली ग्राम के लिये एवं खसरा नम्बर 41, 42, की सीमा लाईन. पूर्व—खसरा नम्बर 37/1 एवं 35/1, की सीमा लाईन. दक्षिण—खसरा नम्बर 27, 28, 29, 14, 13 की सीमा लाईन. पश्चिम—खसरा नम्बर 7, 8, 12 की सीमा लाईन.
				योग . .	78.05	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-70-2012-एफ.सी., दिनांक 04 जुलाई 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, हटा, मुख्यालय दमोह, की स्वीकृत परियोजना पंचमनगर परियोजना में प्रभावित 191.72 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 383.44 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 78.05 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला-सागर के आदेश क्रमांक 70अ/19 (3) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) अन्य कार्यों का विवरण—निरंक.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 70अ/19 (3) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(1) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ-25-99-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-99-2016-दस-3, दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th May 2019

No. F-25-99-2018-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act, applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N 24° 04' 26.00'' to N 24° 04' 59.00'' North Latitude and E 78° 52' 58.3'' to E 78° 53'56.1 East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-North Sagar (T), Forest Division-Sagar, Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Javara	Javara	Bada Jhad ka Jungle.	37/2 35/2	78.05	North—Way to Tahroli Village & Boundary Line of Khasra No. 41, 42. East—Boundary Line of Khasra No. 37/1 and 35/1. South—Boundary Line of Khasra No. 27, 28, 29, 14 and 13. West—Boundary Line of Khasra No. 7, 8, and 12.
				Total :	78.05	

(1) Reason for publication of Notification .—(1) In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 8-70-2012-FC Dated 04th July 2014 and in lieu of 191.72 hactare of affected forest land under the sanctioned project of E.E.W.R.D. Punchamnagar Project Damoh 383.44 hactare non forest land was made available and of the above mentioned Non Forest Land 78.05 hectare land is transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. 70A/19(3) Year 2011, 2011-12 Dated 31st December 2013 of Revenue collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons-Nil.

(3) (B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Report No. 70A/19(3) Year 2011-12 Dated 31 December 2013 of Revenue Collector are as under :—

1. **Individuals Rights:**—There are no Individuals rights on the said land.

(2) **Communities Rights:**—There are no Communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-4-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-4-2019-10-3, दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 10th May 2019

No. F-25-4-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 58' 31.90'' to N 23° 58' 32.00'' North Latitude and E 78° 18' 24.30'' to E 78° 18' 31.50'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Sagar, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Khurai

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kathali	Kathali	Pahad Chattan	122/2	38.00	North—Boundary of Reserved Kh. No. 122, 119, 118, New Pillar No. 1 to 8 Artificial Forest6 Boundary. East—Boundary of Reserved Kh.No. 122, 128, 127/1, 123, 124 New Pillar No. 8 to 16 Artificial Forest6 Boundary. South—Boundary of Reserved Kh.No. 122, New Pillar No. 16 to 17 Artificial Forest6 Boundary. West—Boundary of Reserved Kh.No. 122, New Pillar No. 17 to 1 Artificial Forest6 Boundary.
				Total :	38.00	

Reason for publication of Notification .—(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 50.51 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

(2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-07-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24° 01'10.81" से N 24°01'41.39" उत्तर अक्षांश तथा E 78°53'32.78" से E 78° 54' 11.05" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—बण्डा, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—बण्डा

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बगपुरा	बगपुरा	बड़ा झाड़.	364/2	50.00	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 243, 343 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 3 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 349, 362 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 3 से 4 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 364 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 6 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 182, 183, 193 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 6 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	50.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-7-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-7-2019-दस-3, दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 10th May 2019

No. F-25-07-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24º 01' 10.81'' to N 24º 01' 41.39'' North Latitude and E 78º 53' 32.78'' to E 78º 54' 11.05 East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bagpura	Bagpura	Bada Jhar.	364/2	50.00	North—Boundary of Revenue Kh. No. 243,343, New Pillar No. 1 to 3 Articificial Forest Boundary. East—Boundary of Revenue Kh. No. 349, 362 New pillar No. 3 to 4 Articificial Forest Boundary. South—Boundary of Revenue Kh. No. 364, New Pillar No. 4 to 6 Artificial Forest Boundary. West—Boundary of Revenue Kh. No. 182, 183, 193, New Pillar No. 6 to 1 Articficial Forest Boundary.
				Total :	50.00	

Reason for publication of Notification .—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 50.00 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Dated 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-98-2018-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड N 24°03'29.9" से N 24°04'43.1" उत्तर अक्षांश तथा E 78°51'01.7" से E 78° 52' 03.6" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—उत्तर सागर (सा.), वनमण्डल—सागर, वनपरिक्षेत्र—बण्डा

अनु-क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सिंगदौनी	सिंगदौनी	बड़े झाड़ का जंगल	114	78.03	उत्तर—खसरा नम्बर 1113, 136, 162, 163, 164 एवं शेष भाग खसरा नम्बर 114 की सीमा लाईन. पूर्व—ग्राम हिण्डोरिया की सीमा लाईन. दक्षिण—ग्राम खोजमपुर की सीमा लाईन. पश्चिम—ग्राम भूसा कमालपुर की सीमा लाईन.
				योग . .	78.03	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-70-2012-एफ.सी., दिनांक 04 जुलाई 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, हटा, मुख्यालय दमोह, की स्वीकृत परियोजना पंचमनगर परियोजना में प्रभावित 191.72 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 383.44 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 78.03 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला-सागर के आदेश क्रमांक 70अ/19 (3) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31-12-2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

(2) अन्य कार्यों का विवरण—निरंक.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 70अ/19 (3) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31-12-2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(1) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-98-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-98-2016-10-3, दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 10th May 2019

No. F-25-98-2018-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act, applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N 24°03' 29.9'' to N 24°04' 43.1'' North Latitude and E 78° 51' 01.7'' to E 78° 52' 03.6 East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-North Sagar (T), Forest Division-Sagar, Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Singdoni	Singdoni	Bada Jhad ka Jungle	14	78.03	North—Boundary Line of Khasra No. 113, 136, 162, 163, 164 & Left Part of K. H. No. 114. East—Boundary Line of Village-Hindoriya. South—Boundary Line of Village-Khojampur. West—Boundary Line of Village-Bhoosa Kamalpur.
				Total :	78.03	

(A) Reason for publication of Notification .—(1) In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 8-70-2012-FC Dated 04th July 2014 and in lieu of 191.72 hactare of affected forest land under the sanctioned project of E.E.W.R.D. Punchamnagar Project Damoh 383.44 hactare non forest land was made available and of the above mentioned Non Forest Land 78.03 hectare land is transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 70A/19(3) Year 2011, 2011-12 Dated 31st December 2013 of Revenue collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons-Nil.

3. (B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Report No. 70A/19(3) Year 2011-12 Dated 31-12-2013 of Revenue Collector are as under :—

1. Individuals Rights:—There are no Individuals rights on the said land.

(B) Communities Rights:—There are no Communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-100-2018-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड N-24°02'40.5" से N-24°04'9.7" उत्तर अक्षांश तथा E-78°51'01.4" से E-78° 51' 47.8" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—उत्तर सागर (सा.), वनमण्डल—सागर, वनपरिक्षेत्र—बण्डा

अनु क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भूसा कमालपुर	भूसा कमालपुर	बड़े झाड़ का जंगल	1193 1195 1284	227.36	उत्तर—ग्राम सिंगदौनी की सीमा लाईन. पूर्व—ग्राम पिथौली एवं खोजमपुर की सीमा लाईन दक्षिण—ग्राम खोजमपुर की सीमा लाईन पश्चिम—खसरा नंबर 1292/2 से 1255 तक एवं 1223 से 1204, 1199, 1149, 1094 तक की सीमा लाईन
				योग . .	227.36	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-70-2012-एफ. सी, दिनांक 4 जुलाई 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना, सर्वेक्षण संभाग, हटा, मुख्यालय दमोह की स्वीकृत परियोजना पंचमनगर परियोजना में प्रभावित 191.72 हेक्टेयर वनभूमि के एवज् में प्राप्त कुल 383.44 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 227.36 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 70अ-19(3) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31-12-2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

2. अन्य कार्यों का विवरण—निरंक.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 70अ-19(3) वर्ष 2011-12 पारित आदेश दिनांक 31-12-2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2019

क्र. एफ-25-100-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-100-2016-10-3, दिनांक 10 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 10th May 2019

No. F-25-100-2018-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act, applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N 24° 02' 40.5'' to N 24° 04' 9.7'' North Latitude and E 78° 51' 01.4'' to E 78° 51' 47.8'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-North Sagar (T), Forest Division-Sagar, Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bhoosa Kamalpur	Bhoosa Kamalpur	Bada Jhad ka Jungle	1193, 1195, 1284	277.36	North—Boundary Line of Village Singdoni. East—Boundary Line of Village Pitholi & Khojampur. South—Boundary Line of Village-Khojampur. West—Boundary Line of Khasra No. 1292/2 to 1255, 1223 to 1204, 1199, 1149, 1094.
				Total :	227.36	

(A) **Reason for publication of Notification** .—(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 8-70-2012-FC, Dated 4th July 2014 and in lieu of 191.72 hectare of affected forest land under the sanctioned project of E.E.W.R.D. Punchamnagar Project Damoh non forest land 383.44 Hectare was made available and of the above mentioned Non Forest land 227.36 hactare transfered or muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No.70A/19(3) Year 2011, 2011-12, dated 31-12-2013 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.70A/19(3) Year 2011-12 Dated 31st December 2013 of Revenue Collector are as under :—

(A) Individuals Rights:—There are no rights on the said land.

(B) Communities Rights:—There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ-25-15-2019-दस-3.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23°57'28.69" से N 23°57'33.52" उत्तर अक्षांश तथा E 78°38'57.92" से E 78°39'25.63" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—सागर, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—उत्तर सागर

अनु. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पिपरिया खंगार	पिपरिया खंगार.	पहाड़ चट्टान.	174/2	50.00	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 174/1 की सीमा नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 7 कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 175 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 7 से 9 कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 174/2 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 9 से 12 कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 174/2 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 12 से 1 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	50.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार**.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार**.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ-25-15-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-15-2019-दस-3, दिनांक 13 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th May 2019

No. F-25-15-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of Chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 57' 28.69" to N 23° 57' 33.52" North Latitude and E 78° 38' 57.92" to E 78° 39' 25.63" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Sagar, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—North Sagar

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pipariya Khangar.	Pipariya Khangar.	Pahad Chattan.	174/2	50.00	North—Boundary of Revenue Kh. No. 174/1, New Pillar No. 1 to 7 Articificial Forest Boundary. East—Boundary of Revenue Kh. No. 175, New Pillar No. 7 to 9 Articificial Forest Boundary. South—Boundary of Revenue Kh. No. 174/2, New Pillar No. 9 to 12 Articificial Forest Boundary. West—Boundary of Revenue Kh. No. 174/2, New Pillacr No. 12 to 1 Articficial Forest Boundary.
				Total :	50.00	

Reason for publication of Notification .—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 50.00 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) **Rights of Individuals:**—There are not rights of individulas.

(B) **Rights of Communities:**—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. एफ-25-6-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°18'9.30" से N 24°18'33.22" उत्तर अक्षांश तथा E 78°26'16.69" से E 78°26'40.01" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—मालथौन, वनमण्डल—उत्तर सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—मालथौन

अनु. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	किशनगढ़	किशनगढ़	पहाड़ चट्टान	39/1	1.29	उत्तर—राजस्व खसरा नंबर 36, 31, 30, 26 की सीमा.
				30/1	0.14	
				38	0.57	
				39/2	26.71	पूर्व—राजस्व खसरा नंबर 41, 40 की सीमा, ग्रामीण मार्ग.
						दक्षिण—राजस्व खसरा क्रमांक 258, 259, 260 की सीमा, ग्रामीण मार्ग.
						पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 10, 37, 36 की सीमा, प्राकृतिक नाला.
				योग . .	28.71	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ.सी., दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर-वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 28.71 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

परि०-9

Annexure-II

FORM – II

(For projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Sagar

No. 1376 Dated. 27-10.21

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry if Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **530.85 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Project Director Bina P.M.U. WRD Sagar** (name of user agency) for **"Porject of Irrigation Banda"** of Bahrol, Saliyakhurd, Sagoriya, Kotiya, Kulla, Kirole, Uldan, Pidruwa Paharguwa, AtatilaVillage(s) in Banda and Malthone tehsil.:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire **530.85** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure- VI

(b) The proposal for such diversion 9with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA:

(c) The each concerned Gram sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and the they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed division, A copy of certificate issued by the Gram Panchyat, *Bahrol, Saliyakhurd, Sagoriya, Kotiya, Kulla, Kirole, Uldan, Pidruwa*, *Paharguwa, Atatila* in Banda and Malthone tehsils. is enclosed as Annexure-I to annexure VI

(d) The discussion and decision of such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;

The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section3 (1) of the FRA.

Encl.: As above.

(Deepak Arya)
COLLECTOR
SAGAR (M.P)

परिशिष्ट -10

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(i) के परिपालन मे डूब से प्रभावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ट-11

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(ii) के परिपालन मे भविष्य मे NPV की राशि मे वृद्धि होती है तो उसका वहन किया जायेगा अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ठ -12

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(iii) के परिपालन मे वन विभाग के सहयोग व निर्देश के अनुसार **FRL-4** मीटर के वृक्षों की कटाई की जायेगी व योजना के निर्माण के दौरान वन विभाग के निर्देशों अनुसार कम से कम संख्या मे वृक्षो की कटाई की जायेगी अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ट -13

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(iv) के परिपालन मे Environment Protection Act 1986 में दिए गये प्रावधान के अनुसार Environment Clearence लिया जायेगा अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ट -15

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(v) के परिपालन मे उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा डूब क्षैत्र की सीमाओं मे चारो ओर वृक्षारोपण किया जायेगा अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ट-15

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(vi) के परिपालन मे योजना का Layout Plan अपरिवर्तित रहेगा अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ठ - 16

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(vii) के परिपालन मे वन भूमि के अंतर्गत कोई भी Labour Camp नही लगाया जायेगा अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(viii) के परिपालन मे दिनचर्या हेतु उपयोगी लकडी आदि वन सम्पदाओ का उपयोग State Forest Department या Forest Development Corporation से अनुमति व खरीदी उपरांत किया जायेगा अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(ix) के परिपालन मे Diverted Forest भूमि का सीमांकन व चिन्हाकंन Divisional Forest Officer महोदय के दिशा निर्देशो अनुसार किया गया है। अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ट-19

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(x) के परिपालन मे वन भूमि से कोई भी नया रास्ता नही बनाया जायेगा अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परि.शिष्ट-20

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(xi) का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई—मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन—पत्र

स्टेज—1 की कंडिका B(xii) का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ट-22

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(xiii) के परिपालन मे डूब क्षेत्र से प्रभावित वन भूमि को किसी अन्य एजेंसी या विभाग या व्यक्ति को स्थानांतरित नही किया जायेगा अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(xiv) का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ट-25

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(xv) की शर्त का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

परिशिष्ट -25

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका B(xvi) की शर्त का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

Portal Home | | Administration & Settings | Logout

e-Green Watch

Main Menu

[iccems mp admin1]
State- Madhya Pradesh
1 Dec 2021, 15:18:22 IST

FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

Home FCA-1980 Projects ▾ Diverted Lands ▾ CA Lands ▾ Reports ▾

INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:45528

Project Name : **Banda Irrigation Project** Year : **2021**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project]
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects]
- [Add CA Land / Site Details to the Project] Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.

Land Received from UA against FCA projects for Compensatory Afforestation

Project Name : Banda Irrigation Project

Project Type : Irrigation

Total Land Diverted : 830.850

Land type * --Select--

Category of CA Land* --Select--

Select Circle * --Select--

Select Division * --Select--

Select Range * --Select--

Site Name/Compartment/Block Details : *

Location Details(Optional)

Shape of Land received for CA:* --Select--

Area of Land Recevied for CA (In Hact.) *

Area of Land that has already been received(In Hact.): 0.000

Upload GPS File [Choose File] No file chosen

(Please upload KML/KMZ file only.)

Upload Scanned copy of Map of the land received for CA [Choose File] No file chosen

(Please upload JPG/jpg file only.)

CA Land Details have been saved sucessfully. You can view the details in the bottom of your screen

[Save The CA Land Details] [Cancel]

Edit/update - Land Received from UA against FCA projects for Compensatory Afforestation

S.No.	Site Name	Land Type	Land Category	Land Area(in Ha)	District	Range	Notification order No.	Notification Status
1	Chanari , Malthone, Sagoriya , Kotra,Pitholi , Bagpura,Jawara , Mokalmau,munderi ,malakpur -	Revenue_land (Non-forest)	CA	572.000	Sagar [Banda]	Banda [Sagar North(T)]	F-25-12-2019-10-3- dated-03/05/2019	Notified Land
			Total	572.000				

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

कार्यालय परियोजना संचालक,
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई–मेल. डी. pdbinapmu@gmail.com

पत्र क्र. 1263 / बीना पी.एम.यू. / सागर / 2021–22 सागर दिनांक 01 / 11 / 2021

–: वचन पत्र :–

Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be changed by the State Government from the User Agency.

1.11.21

परियोजना प्रबंधक
बीना पी0एम0यू0 जल संसाधन विभाग
सागर (म0प्र0)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा स्टेज–1 में निहित शर्त (ii) के पालन में पावर ग्रिड एवं स्टरलाइट द्वारा शिफ्टिंग प्लान की K.M.L. एवं सहमति पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया गया।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 में निहित शर्त (iii) के परिपालन मे बीना परियोजना मे प्रभावित वन भूमि 618 हे0 की **K.M.L.** गुलाबी रंग से एवं बण्डा परियोजना मे प्रभावित वन भूमि 530.85 हे0 के विरूद्ध गैर वनभूमि 572.00 हे0 को पीले रंग की **K.M.L.** को भाग–2 के बिन्दू क्र. (vii) में अपलोड किया गया है, अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया गया।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

भारत सरकार द्वारा प्रदाय स्टेज–1 की अभिस्वीकृति में निहित कंडिका A(vii) के परिपालन मे (1) बीना परियोजना मे पूर्व मे रू. 43,38,38,781/– (2) वनविभाग की NPV की गणना अनुसार रू. 4,08,04,534/– एवं केट प्लान की तकनीकी स्वीकृति अनुसार रू. 12,46,95,335/– केम्पा हेड मे जमा करा दी गई। भविष्य मे NPV की राशि मे वृद्धि होती है तो उसका वहन किया जायेगा अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

भारत सरकार द्वारा प्रदाय स्टेज–1 की अभिस्वीकृति में निहित कंडिका A(viii) के परिपालन मे बण्डा परियोजना मे 530.85 हे0 वन क्षेत्र की NPV की राशि की गणना की गयी गणना उपरान्त कुल राशि मे से बीना बहुउद्देशीय रकवा 405.94हे0 की पूर्व में जमा की गयी पुनः वन विभाग द्वारा NPV की राशि गणना करते हुए शेष राशि रू. 4,08,04,534/– E-portal के माध्यम से केम्पा मे जमा कराई गयी जिसका यू0टी0आर0 न0 SBIN421239953070 है। अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्णतः पालन किया गया।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका A(ix) का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका A(x) के परिपालन मे राजस्व विभाग के सहयोग से वन विभाग को क्षतिपूर्ति वनीकरण भूमि स्थानांतरित की जा चूकी है अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्ण पालन किया गया।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका **A(xi)** के परिपालन मे **FRA** प्रमाण–पत्र कलेक्टर महोदय सागर के पत्र क्र. 1376 दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्ण पालन किया गया।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म०प्र०)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

भारत सरकार द्वारा प्रदाय स्टेज–1 की अभिस्वीकृति मे निहित कंडिका A(xii) के परिपालन मे वन विभाग को किए गये समस्त भुगतान E-portal के माध्यम से केम्पा अकाउंट मे किया गया जिससे कंडिका का पूर्ण पालन किया जायेगा।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका A(xiii) के परिपालन समस्त मांग की गई व उपयोगी KML फाइलों को FSI की E-Green Watch Portal में अपलोड किया गया अतः उपरोक्त कंडिका का पूर्ण पालन किया गया।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना.पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)
ई–मेल.डी.pdbinapmu@gmail.com

वचन–पत्र

स्टेज–1 की कंडिका A(xiv) का पूर्णतः पालन किया गया।

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू) जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)